संख्या : 9 /2022/बी-1- 313 /दस-2022-16/94

प्रेषक,

एस. राधा चौहान,

अपर मुख्य सचिव, वित्त

एवं वित्त आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
नगर विकास विभाग।

2- अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पंचायती राज विभाग।

3- सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त विभाग।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 21 अप्रैल, 2022

विषय : कोषागारों को ऑन-लाइन बजट आवंटन भेजे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

बजट आवंटन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, त्वरित बनाए जाने तथा व्यय को आवंटित बजट की सीमा तक नियंत्रित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-बी-1-2735/दस-2011-16/94, दिनाँक 07 सितम्बर, 2011 तथा कतिपय अनुदानों / विभागों में कम्प्यूटर आधारित वेब-बेस्ड डाटा ट्रांसमिशन प्रणाली द्वारा बजट आवंटन किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-बी-1-417/दस-2013-16/94, दिनाँक 26 फरवरी, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) की, नीचे तालिका में अंकित योजनाओं, जिनमें आहरण कोषागार के माध्यम से होता है, के लिये ऑन-लाइन बजट आवंटन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	योजना	योजना का लेखाशीर्ष	कोषागार का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से लिए गए ऋण पर ब्याज	2049-01-200-04-00	जवाहर भवन, लखनऊ
2.	एल.टी.आई.एफ. से लिए गए ऋणों पर देय ब्याज	2049-01-200-05-00	जवाहर भवन, लखनऊ
3.	ऑडिट प्रकोष्ठ का अधिष्ठान	2052-00-090-03-01	जवाहर भवन, लखनऊ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4.	अभिसूचना के स्रोतों का विकास	2052-00-090-03-02	जवाहर भवन, लखनऊ
5.	बजट निर्माण आदि हेतु विविध व्यय	2052-00-090-03-03	जवाहर भवन, लखनऊ
6.	वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय	2052-00-091-03-00	जवाहर भवन, लखनऊ
7.	राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों को अन्तरण	2217-80-800-03-00	जवाहर भवन, लखनऊ
8.	राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से नगरीय निकायों की देयताओं का भुगतान	2217-80-800-04-00	जवाहर भवन, लखनऊ
9.	राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड में अन्तरण	2217-80-800-05-00	जवाहर भवन, लखनऊ
10.	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	3604	जवाहर भवन, लखनऊ

2- उपरोक्त अनुदानों के बजट आवंटन हेतु प्राधिकृत अधिकारी अपने से सम्बन्धित योजनाओं, जिसे वे आपरेट करते हैं, में बजट आवंटन करने हेतु अथराईजेशन एवं यूज़रनेम तथा पासवर्ड, निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 148, जवाहर भवन, लखनऊ से संलग्न पंजीकरण-प्रपत्र पर विवरण सहित आवेदन भेजकर, प्राप्त करेंगे।

3- उपरोक्त योजनाओं हेतु बजट आवंटन, शासनादेश दिनाँक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार किया जायेगा।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीया,

एस.राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या :9/2022/बी-1- 313(1)/दस-2022-16/94, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय, विधान भवन, नवीन भवन, लखनऊ।
2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- विभागीय आदेश पत्रावली।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से बजट आवंटन हेतु पंजीकरण-प्रपत्र

1- विभाग का नाम : .....

2- विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक
अधिकारी का पदनाम : .....

3- बजट आवंटन हेतु अनुदान संख्या, स्कीम्स तथा डी.डी.ओ. कोड आदि का विवरण :

क्र.सं.	योजना	योजना का विवरण (लेखाशीर्ष के 13 डिज़िट तक)	डी.डी.ओ. कोड	कोषागार का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
..				
..				

4- ई-मेल पता : .....

5- दूरभाष / मोबाइल नम्बर : .....

दिनाँक : .....

स्थान : .....

हस्ताक्षर
(नाम)
वित्त नियंत्रक / मुख्य /
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी /
प्राधिकृत अधिकारी ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>एडमिनिस्ट्रेटर (निदेशक, कोषागार, उ.प्र. द्वारा नामित अधिकारी) के उपयोगार्थ</u>

1- विभाग का कोड : .....

2- यूज़रनेम : .....

3- पासवर्ड : ..... (पासवर्ड अलग से दिया जायेगा) .....

दिनाँक : .....

हस्ताक्षर

(नाम)

एडमिनिस्ट्रेटर

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।